केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थानिक क्षेत्र
18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग
Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली – 110016 New
Delhi – 110016
Tele.:011-26858570/26514179(Fax)
Website:www.kvsangathan.nic.in

एफ़: F. 11056/2/LDE/UDC/2013-KVSHQ(E-III)/21831-38 दिनांक: 26.02.2014

ज्ञापन

विषय: प्रवर श्रेणी लिपिकं के पद पर सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर वर्ष 2011-2012 मे पदोन्नति ।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित अवर श्रेणी लिपिक को प्रवर श्रेणी लिपिक के पद पर पे बेंड/वेतनमान रू 5200–20200/– ग्रेड पे रू. 2400/– में सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर वर्ष 2011-2012 मे पदोन्नति को अनुमोदित कर दिया है और कालम संख्या 6 में उनके नाम के सामने उल्लिखित केंन्द्रीय विद्यालय में तैनात किया जाता है । वे अपनी स्वीकृति विना किसी शर्त के दिनॉक **20.3.2014** तक अनिवार्य रूप से प्रेषित कर दें और प्रवर श्रेणी लिपिक के रूप में तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त होकर एवं नियमानुसार कार्यभार ग्रहण समय का उपयोग करने के पश्चात कार्यभार ग्रहण कर लें । यदि वे दिनॉक **20.03.2014** तक कार्यमुक्त होने में असफल रहते हैं तो पदोन्नति का यह प्रस्ताव स्वतः ही वापिस लिया माना जाएगा।

GENERAL CATEGORY (MAIN PANEL)

S. No	Sl No in the merit list.	NAME	DATE OF BIRTH	Present Place of Posting	PROPOSED TO KV/RO
1	2	3	4	5	6
1	16	Ganesh Ram Yadav	01.8.1954	KV Chirimiri	kV Baikunth pur

2. अनुसुचित जाति/ अनुसुचित जनजाति कोटे के अंतर्गत की गई पदोन्नति इस शर्त पर होगी कि वे अन. जाति/अन.जनजाति (जैसा भी मामला हो) से वर्तमान में भी संबंधित हैं, इसके समर्थन में राज्य सरकार के सक्षम प्रधिकारी से वर्तमान प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

3. कर्मचारीं को यह विकल्प उपलब्ध होगा कि वे अपना वेतन पदोन्नति की तारीख से अथवा अपने पदोन्नति पूर्व के पद पर वेतनवृद्धि की तारीख से जैसे 1 जुलाई निर्धारित करवाएँ । यह विकल्प पदोन्नति के एक महीने के भीतर उपयोग किया जाना चाहिए ।

4. कर्मचारी को बीमारी/ प्रसूति के कारणों को छोडकर अन्य किसी कारण से कार्यभार ग्रहण करने के विस्तार की अनुमति नहीं होगी तथा बीमारी / प्रसूति के मामले में चीफ मेडिकल आफिसर / मेंडिकल सुप्रीटेंडेन्ट/ सरकारी अस्पताल जिला अस्पताल के सिविल सर्जन अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपकमों / परियोजनाओं जिससे विद्यालय संबद्ध है के अस्पतालों के चीफ मेडिकल ऑफिसर अथवा सेना या कमान अस्पताल के चीफ मेडिकल आफिसर द्वारा जारी विधिवत चिकित्सा प्रमाण पत्र संलग्न किया जाए । यह अनुरोध, यदि कोई हो तो दिनॉक **20.03.2014** तक उचित माध्यम द्वारा केविंस (मु.) में प्राप्त हो जाना चाहिए ।

5. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पदोन्नति पर तैनाती के स्थान में परिवर्तन या पद पर कार्यभार ग्रहण करने के समय में विस्तार के किसी भी अभ्यावेदन (उपर्युक्त पैरा 4 के अन्तर्गत प्रावधान को छोडकर) पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा ।

आर एस भटनागर 25/2

(आर एस भटनागर)
प्रशासनिक अधिकारी(स्थापना)

वितरण :

1. संबंधित कर्मचारी को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि वे अपनी स्वीकृति अनिवार्यतः दिनांक 20.03.2014 तक भिजवा दें । पदोन्नति की स्वीकृति की स्थिति में उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि दिनांक 20.03.2014 तक कार्यमुक्त हो जाए ।

2. प्राचार्य, के.वि. चिरिमिरी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। यदि अधिकारी पदोन्नति पर जाने का इच्छुक है तो उन्हें अपनी शर्तमुक्त सहमति/ स्वीकृति प्राचार्य के माध्यम से केविसं (मु.) को दिनांक 20.03.2014 तक भिजवानी होगी । यदि वे ऐसा करने में असमर्थ रहते है तो यह माना लिया जाएगा कि उन्हें अपनी पदोन्नति में रूचि नहीं है और उनका पदोन्नति का आदेश बिना किसी अन्य नोटिस के स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा । यदि उन्होने पदोन्नति का स्वीकृति किया तो उन्हें अनिवार्य रूप से दिनांक 20.03.2014 तक या उससे पहले कार्यमुक्त कर दिया जाए ताकि वे अपनी तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें ।

3. प्राचार्य, के.वि. बैकुंठ पुर को इस अनुरोध के साथ कि वे संबंधित कर्मचारी द्वारा पदोन्नति पद कार्यभार ग्रहण करने की तिथि की जानकारी से तुरंत अवगत करायें ।

4. उपायुक्त, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि वे उपर्युक्त कम.सं. 2 में दी गई समय–सारणी को सुनिश्चित करवाते हुए कर्मचारी को कार्यमुक्त करें।

5. वित्त अधिकारी, केविसं, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर को सुचनार्थ ।

6. अनुभाग अधिकारी, भर्ती एवं पदोन्नति, केविसं (मु.)

7. सहायक आयुक्त ईडीपी सेल केविसं (मु.) को केविसं की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु

8. गार्ड फाइल ।